न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट खिलौरा)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

अपील सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/2	05.04.2018	12.06.2018

उनवान

1. चित्रसैन पुत्र श्री विशन दयाल,
2. लालचन्द पुत्र श्री विशन दयाल,
3. हीरानन्द पुत्र श्री विशन दयाल,
4. धर्मवीर पुत्र श्री विशन दयाल निवासियान चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. विरेन्द्र पुत्र श्री श्योचन्द
2. राजेन्द्र पुत्र श्री श्योचन्द निवासियान गाम घाटाशेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
3. ग्राम पंचायत खिलौरा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत खिलौरा तहसील रामगढ।

..... रेस्पोडेन्टस्

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत खिलौरा के ग्राम चण्डीगढ दिनांक 24.02.2016, ई0 नं0 277)

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि स्व0 श्री श्योचन्द पुत्र उमराव यादव निवासी ग्राम घाटाशेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा ने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.32 हैक्ट0 में से 1/4 हिस्सा, 245 रकबा 2.93 हैक्ट0, 666 रकबा 0.19, 673 रकबा 0.06 हैक्ट0 किता 3 में हिस्सा 3/4, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.91 में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.32 हैक्ट0 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर की वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 20.11.2012 को अपीलान्ट्स के पक्ष में कर दी थी और अपीलान्ट्स उक्त वसीयत की बिना पर उक्त आराजीयात पर श्योचन्द के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 श्री श्योचन्द मिन

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

अपीलान्टस के खास चाचा थे तथा मिन अपीलान्टस ही श्योचन्द के जीवनकाल में आराजी मुतनांजा की देखभाल व कार्य काश्तकारी करते थे। उक्त आराजीयात से रेस्पा0 सं0 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी तरह का नही है न ही उनका इन्तकाल अन्तर्गत आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा काश्त रहा है। क्योकि रेस्पा0 सं0 1 व 2 हरियाणा राज्य में रहते है और वो गांव में आकर कभी नही रहे। क्योकि श्योचन्द काफी अर्सा पूर्व ही हरियाणा चले गये थे और वहीं पर रहन सहन करते थे व श्योचन्द जब भी गांव चण्डीगढ आते थे तो उनकी देखभाल एवं सेवा सुश्रुषा अपीलान्टस ही करते थे। इसलिए स्व0 श्योचन्द ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पाडेंट सं0 1 व 2 को यह कह दिया था कि ग्राम चण्डीगढ की आराजी को वो अपीलान्टस को दे दी है और उसके मरने के बाद अपीलान्टस ही उक्त आराजी के मालिक वो खातेदार काश्तकार रहेंगे। उकत वसीयत श्योचन्द ने गांव के मौजीज लोंगो के समक्ष अपीलान्टस के पक्ष में पूरे होशहवास में राजीखुशी से की थी। जिसकी जानकारी रेस्पा0 सं0 1 व 2 को भी आरम्भ से ही है। किन्तु ग्राम पंचायत से मिलकर श्योचन्द के पुत्र होने के नाते मात्र से मृतक श्योचन्द के मरणोपरान्त उसकी विरासत का विवादित इन्तकाल बाला–बाला अपने नाम दज मंजूर करा लिया । विवादित इन्तकाल दर्ज मंजूर किये जाने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी तरह का सुनवाई का अवसर नही दिया गया न ही कब्जे की कोई जांच की गई इसलिए आज्ञा जेरे अपील खिलाफ कानून मौका व मनमानी होने के कारण एवं न्याय के कुदरती सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे तथा सरपंच ग्राम पंचायत खिलौरा पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 29.02.2016 कि जिसके द्वारा रेस्पा0 के नाम मृतक श्योचन्द पुत्र उमरावसिंह यादव की विरासत का इन्तकाल सं0 277 ग्राम चण्डीगढ स्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जावे तथा मृतक श्योचन्द की विरासत का इन्तकाल अपीलान्टस के नाम दर्ज मंजूर किये जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

अपील अपीलान्टस दज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पा0 को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से श्री सियाराम गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा दिनांक 12.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा में दिनांक 12.06.2018 को अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि स्व0 श्री श्योचन्द पुत्र उमराव यादव निवासी ग्राम घाटाशेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा ने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर की वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 20.11.2012 को अपीलान्ट्स के पक्ष में कर दी थी और अपीलान्ट्स उक्त वसीयत की बिना पर उक्त आराजीयात पर श्योचन्द के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर करने से विदित है कि इन्तकाल सं. 277 दिनांक 29.02.2016 ग्राम चण्डीगढ ग्राम पंचायत खिलौरा, तहसील रामगढ़ अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना करते, अपीलान्ट को बिना सुने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं एवं इन्तकाल संख्या 277 दिनांक 29.02.2016 ग्राम चण्डीगढ, ग्राम पंचायत खिलौरा तहसील रामगढ़ का निर्णय निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए, विस्तृत जांच कर इन्तकाल के सम्बन्ध में नये सिरे से कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)